

2021/253

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

2 Attached

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर

प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 कैम्प-खापय

क्रमांक:- प्र.गां.के.सं.अ./2021/604


दिनांक:- 29/10/21

धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र एवं पटवारी हल्का खापय व भूअ.नि. खापय की जांच रिपोर्ट तथा तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खापय तहसील भोपालगढ़ व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 में खाता संख्या 89 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।
1.	<u>खापय</u>	89	युन्नीदेवी w/o नारायणराम → 1/80 शेष बद्ध	① गोपाराम 1/0 नारायणराम → 1/80 ② मेस्राराम 1/0 नारायणराम → 1/80 ③ रतनलाल 1/0 नारायणराम → 1/80 ④ जगदीश 1/0 चैसराम → 1/400 ⑤ शोभाराम 1/0 चैसराम → 1/400



⑥ राधा 1/0 चैसराम → 1/400
 ⑦ बकमा 1/0 चैसराम → 1/400
 ⑧ देवीदेवी w/o चैसराम → 1/400
 (हवाई सिंह यादव) प्रभाषी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़) प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 भोपालगढ़ (जोधपुर) शेष बद्ध

क्रमांक:- सम/605-606

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार भोपालगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री रतनलाल को सूचनार्थ।

(हवाई सिंह यादव)

प्रभारी स्वयंसेवक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021



Received

0.1K 29/10/21